

उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था अधिनियम की धारा 2(g) के अन्तर्गत निर्गत सर्टिफिकेट के क्रम में एतद्वारा प्रश्नगत निजी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नं० 705, 706, 707, 768 इदगाह सरधना जनपद-मेरठ को तात्कालिक प्रभाव से अल्पसंख्यक संस्था माने जाने (ट्रीट किये जाने) का निर्णय लिया जाता है।


अतएव याची का प्रत्यावेदन दिनांक 20.09.2017 एतद्वारा उपर्युक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

राज प्रताप सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-41353/2017 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी बनाम उ०प्र० राज्य व 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 07.09.2017 के सन्दर्भ में।
- 2- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- ✓ 4- प्रबन्धक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नं० 705, 706, 707, 768 इदगाह सरधना जनपद-मेरठ (पंजीकृत डाक)।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(कामता प्रसाद सिंह)  
अनु सचिव।